रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2012/फाल्गुन 16, 1933

No. 92] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2012/PHALGUNA 16, 1933

DG/NIA/MHA
New Delhi

गृह मंत्रालय

[आंतरिक सुरक्षा खंड-I]

(आई एस-आई वी डेस्क)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2012

सा.का.नि. 120(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय जांच ब्यूरो में अंगुली छाप विशेषज्ञ समूह 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय जांच ब्यूरो, अंगुली छाप विशेषज्ञ (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **आरंभिक गठन.**—इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को उक्त अनुसूची में वर्णित पद के ऐसे पदधारी जो नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हैं । इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त समझे जाएंगे और उनके द्वारा उक्त पद पर उक्त प्रकाशन के पूर्व नियमित आधार पर की गयी सेवा को निकटतम उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अर्हता के निर्धारण हेतु विचार में लिया जाएगा ।

6. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

OFFICE OF THE DG/NIA
Diary No......855......
Date......15/3/12......

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अंगुली छाप विशेषज्ञ	01* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3 15600-39100रु0 (ग्रेड वेतन 5400रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यकः- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान के किसी विषय में एम.एस.सी. डिग्री या न्यायलयी विज्ञान में एम.एस.सी. या रसायन शास्त्र एक विषय के साथ बी.एस.सी.डिग्री । (ii) किसी प्रयोगशाला में अंगुली की छाप के डेवलपमेंट व पहचान का तीन वर्ष का अनुभव । वांछनीयः- (i) अर्हता से सुसंगत डाक्ट्रेट डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगुली छाप परीक्षण विशेषज्ञ । **टिप्पण 1** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2**- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा

	आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों/अर्द्धसरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- **क.** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृशय पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. व ग्रेड वेतन 4800 या समतुल्य श्रेणी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष् सेवा की है । (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. व ग्रेड वेतन 4600 रु0 या समतुल्य श्रेणी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा की है । **ख.** जिनके पास स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है । **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा

परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि पर विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय जांच ब्यूरो -- **अध्यक्ष** 2. उप महानिरीक्षक, प्रशासन -- **सदस्य** 3 निदेशक (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय (एमएचए) -- **सदस्य** 4.निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयी विज्ञान, प्रयोगशाला (केन्द्रीय जांच ब्यूरो), नई दिल्ली -- **सदस्य** 5. संघ लोक सेवा आयोग या गृह मंत्रालय द्वारा नामित एक या अधिक विशेषज्ञ -- **सदस्य**	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 21011/1/2010-आईएस-I]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

721 GI/12-2

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

(IS-IV DESK)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2012

G.S.R. 120(E).— In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' post of finger print expert in the National Investigation Agency under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency Finger Print Expert (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the post mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.** – The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.**– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Initial Constitution.** – The incumbents of the posts mentioned in the said Schedule who on the date of publication of these rules are holding the post on regular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post on regular basis before the said publication shall be taken into account for deciding their eligibility for promotion to the next higher grade.

6. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finger Print Expert.	*01 * Subject to variation as per workload.	General Central Service Group–'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band -3, Rs. 15600 – 39100/- (Grade pay of Rs. 5400/-).	Not Applicable.	Age not exceeding 35 years (Relaxable for Government servant up to five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note:** – The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential:- (i) M.Sc. Degree in any Science subject or M.Sc. in Forensic Science; or B.Sc. Degree with Chemistry as one of the subjects, from a recognised University. (ii) Three years' experience in a laboratory in	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	**<u>Deputation (Including short term contract):–</u>** Officers under the Central Government or State Government or Universities or recognised Research Institutions or union territories or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department, or	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation: - 1. Inspector General of National Investigation Agency (NIA) – Chairman. 2. Deputy	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
development and identification of Finger print. **Desirable:-** (i) Doctorate Degree relevant to qualification; or (ii) finger print expert examination from a recognised institution. **Note-I:-** Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note-II:** - The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the				(ii) with two years' service in the grade on regular basis in posts in the Pay Band–2, Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band–2, Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade pay Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7. (Period of deputation or contract including period of deputation or contract in another ex-cadre post held immediately preceding this	Inspector General (Administration) of NIA – Member. 3. Director (Internal Security), Ministry of Home Affairs(MHA) - Member 4. Director, Central Forensic Science Laboratory (Central Bureau of Investigation), New Delhi - Member 5. One or more experts to be nominated by Union Public Service Commission or Ministry of Home Affairs.	

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
UPSC in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage or selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.				appointment in same or some other organisation or department in the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years'. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years' as on closing date of receipt of application).		

[F. No. 21011/1/2010-IS-I]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.